



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2012/अग्रहायण 22, 1934

No. 272]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2012/AGRAHAYANA 22, 1934

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2012

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) संशोधन विनियम, 2012 कहा जाएगा।
- (2) ये दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 से लागू होंगे।

2. विनियम 4 और 5 का संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) विनियम, 2010 :—

- (अ) विनियम 4, परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“बशर्ते कि संक्रमणकालीन अवधि को दो वर्ष या कम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसका कि बोर्ड निर्णय ले सकता है जिसके लिए लिखित रूप में वैध कारण देना होगा।”;

- (ब) विनियमन 5, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“बशर्ते कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ के निर्धारण के लिए रेलवे के माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण) संशोधन विनियमन 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा जोकि संक्रमण की विस्तारित अवधि के दौरान अवरुद्ध रहेगा।”

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/12]

पाद टिप्पणी :—मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 987(अ), दिनांक 20-12-2010 को अधिसूचित हुए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2012

F. No. PNGRB/M(C)/62/2012.— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2012.
- (2) They shall come into force on 20th December, 2012.

2. Amendment of regulations 4 and 5

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, —

- (a) in regulation 4, after proviso, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided further that the transitional period may be extended for another two years or lesser period as the Board may decide for valid reasons to be given in writing.”;

- (b) in regulation 5, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that the determination of the petroleum and petroleum product pipeline transportation tariff shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the commencement of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2012 which shall be frozen during the extended period of transition.”.

RATAN P. WATAL, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./188/12]

Foot Note :—Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 987(E), dated 20-12-2010.